औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास निधि योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(1) से अनुमोदित)

1. **संक्षिप्त नाम** — यह योजना औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास निधि नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. **उद्देश्य** — इस योजना का उद्देश्य सरकारी तथा निजी औद्योगिक आस्थानों/ क्षेत्रों में अधोसंरचना सुविधाओं, जैसेः विद्युत, जलापूर्ति, सड़क व सम्पर्क मार्ग, जल निकासी, एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट के विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर उद्यमियों को उद्यम स्थापनार्थ प्रोत्साहित करना है।

3. **कार्यान्वयन अवधि** — यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2018 अथवा तब तक चालू रहेगी, जब तक कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा इसे अन्यथा संशोधित न कर दिया जाय।

4. **परिभाषा**

   1. ''**राज्य**'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है।

   2. ''**औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र**'' से तात्पर्य राज्य/निजी उद्यमी द्वारा विकसित ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से है, जिस राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

   3. ''**अधोसंरचनात्मक सुविधा (Infrastructural facility)**'' से तात्पर्य विकसित औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान में भूमि विकास, विद्युत, जल, पहुंच मार्ग, जल निकासी युक्त ऐसी अवस्थापना सुविधाओं से है, जिनकी उद्यम स्थापित करने हेतु प्राथमिक आवश्यकता है।

   4. ''**अवस्थापना मैपिंग**'' से तात्पर्य प्रस्तर–4(3) में वर्णित ऐसे क्षेत्रों के चिन्हिकरण/अभिज्ञापन से है, जहॉ पर औद्योगिक विकास की सम्भावनायें हैं, परन्तु वर्तमान में उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधायें लगभग नगण्य अथवा अपर्याप्त/अविकसित हैं अथवा जहॉ उपलब्ध हैं, उनके वर्तमान स्तर में वांछित कमी के सुधार/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

5.	अवस्थापना विकास निधि सृजन का उद्देश्य	अवस्थापना विकास निधि के सृजन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार/निजी क्षेत्र में अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण से है। इसके अतिरिक्त इस निधि से ऐसे औद्योगिक आस्थानों, जहॉ पर उद्यम स्थापित हैं, उद्यमी सहकारी समिति का गठन कर सम्पर्क मार्ग, जलापूर्ति तथा नालियों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु एक मुश्त अनुदान के रूप में अंश पूंजी के अनुपात में सहायता देना भी है।
6.	पात्रता	ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र, जिन्हें औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/ सात–II/ 123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में परिभाषित किया गया है।
7.	नई अवस्थापना सुविधाओं की मदें	1. विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, विद्युत आपूर्ति में सुधार/उच्चीकरण हेतु औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में नई विद्युत लाइनों के खींचे जाने अथवा नये विद्युत सब स्टेशन के निर्माण। 2. राष्ट्रीय व मुख्य मार्ग से औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं रख–रखाव। 3. औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण एवं रख–रखाव। 4. औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था। 5. अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन हेतु व्यवस्था। 6. सामान्य सुविधा केन्द्र (Commen facility centre) का विकास। 7. ऐसी अन्य अवस्थापना सुविधायें जो राज्य सरकार औद्योगिक विकास के दृष्टिगत समय–समय पर निर्धारित करे।

8.	**सृजित अवस्थापना सुविधाओं के रख–रखाव/ मरम्मत हेतु व्यवस्था**	1. ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र, जहॉ पर पहले से उद्यम स्थापित हों, में सृजित अवस्थापना सुविधाओं के रख–रखाव/मरम्मत हेतु उद्यमियों की सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहित किया जायेगा। 2. वैध रूप से गठित सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये अंश पूंजी का 4 गुना, अधिकतम रू0 15.00 लाख (रूपये पंद्रह लाख मात्र) तक एक मुश्त अनुदान के रूप में दी जायेगी, जिसको समिति द्वारा बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में रखा जायेगा। इस प्रकार फिक्स डिपोजिट पर अर्जित ब्याज की धनराशि का उपयोग आस्थान के रख–रखाव एवं सुविधाओं की मरम्मत पर किया जायेगा। फिक्स डिपोजिट खाते से धनराशि का आहरण/वितरण महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा सहकारी समिति के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। ब्याज के आहरण के पूर्व रख–रखाव/कार्य का प्रस्ताव समिति की बैठक में रखा जायेगा तथा समिति के सदस्यों की 3/4 उपस्थिति, कोरम के लिये पूर्ण मानी जायेगी।
9.	**अवस्थापना निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण की प्रकिया**	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण के प्रस्ताव हेतु प्रकिया नियमावली में दिये गये नियमों के अन्तर्गत जिला उद्योग मित्र द्वारा निम्न मदों पर विचार करते हुये निर्धारित की जायेगीः– 1. अवस्थापना मैपिंग। 2. अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता तथा उसका औचित्य। 3. वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव की प्राप्ति। 4. ऑगणन का बनाया जाना एवं परीक्षण। 5. कार्य निष्पादन। 6. निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाना। 7. उद्योग मित्र द्वारा प्रतिवर्ष निधि हेतु मॉग पत्र निदेशक उद्योग के माध्यम से शासन को भेजा जायेगा तथा उपलब्ध निधि के लिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवस्थापना निधि के कार्यों की वचनबद्धता निधि में धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य विशेष के सम्पादन हेतु सम्पूर्ण अपेक्षित निधि आवंटित हो जानी चाहिये, ताकि आगे धनराशि के अभाव में उक्त कार्य अपूर्ण न रहे।

10. आडिट व्यवस्था

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अथवा उसके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अवस्थापना निधि से सम्बन्धित समस्त लेखों का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 3 माह के अन्दर जिला उद्योग मित्र के समक्ष सूचना/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तदोपरान्त 2 माह के अन्दर निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त जनपदों की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। इस निधि का प्रतिवर्ष शत–प्रतिशत आडिट कराया जायेगा, जिसका व्यय अवस्थापना अंशदान से किया जायेगा।

11. अवस्थापना निधि हेतु संसाधन

1. कोष के गठन के लिये संसाधन के रूप में राज्य सरकार से रू0 2 करोड़ की धनराशि एक मुश्त अनुदान स्वरूप प्राप्त की जायेगी।
2. ऐसे उद्यमियों, जो विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होंगे, से विकास शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष कुछ शुल्क लेकर प्राप्त धनराशि को कोष में जमा किया जायेगा।
3. विकास शुल्क का निर्धारण जिला उद्योग मित्र द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये किया जायेगा।

12. अन्य

1. कोष के क्रियान्वयन से सम्बन्धित यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित हो, तो ऐसे मामलों को राज्य शासन को निदेशक उद्योग के माध्यम से सन्दर्भित किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. यदि नियमावली में समय–समय पर कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाना हो, तो जिला उद्योग मित्र से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे निदेशक उद्योग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

3. योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण का दायित्व जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड का होगा।

4. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।

5. यदि किसी वित्तीय वर्ष में एकीकृत पर्वतीय विकास अधिनियम के किसी मद में कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो निदेशक उद्योग प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से उक्त धनराशि को अवस्थापना निधि में स्थानान्तरित कर सकता है।